न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 17 / 2021 **दायर दिनांकः 21 / 06 / 2021**

उनवान

1. लक्ष्मी बाई आयु 48 वर्ष पुत्री रामचरण जाति माली निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारा (राज०) हाल निवासी कोली मोहल्ला छबडा जिला बारां।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 12 / 10 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल महेशपुरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 136 का ख0नं0 158 का कुल रकबा 1.44 है0 आराजी प्रार्थीया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीयों द्वारा प्रार्थिया का घर पर बोलता नाम चाहिना होने के कारण प्रार्थिया का नाम लक्ष्मी बाई के स्थान पर चाहिना गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण पत्र में भी सही नाम लक्ष्मी बाई दर्ज है। इसलिए प्रार्थिया का नाम चाहिना के स्थान पर सही नाम लक्ष्मी बाई दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीया का नाम चाहिना के स्थान पर सही नाम लक्ष्मी बाई दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थन पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में

प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थनप पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम चाहिना के स्थान पर सही नाम लक्ष्मी बाई दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम चाहिना के स्थान पर सही नाम लक्ष्मी बाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 136 का कुल किता 158 का कुल रकबा 1.44 है0 में सहखातेदार प्रार्थिया का नाम चाहिना के स्थान पर लक्ष्मी बाई दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी सवंत 2073–2076 ग्राम महेशपुरा के खाता संख्या 136 के ख0नं0 158 रकबा 1.44 है0 में चाहिना पुत्री रामचरण का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी बैंक ऑफ बडोदा शाखा छबडा में प्रार्थिया का नाम लछमी बाई दर्ज है तथा राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम लक्ष्मी बाई दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल महेशपुरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 136 का ख0नं0 158 का रकबा 1.44

है0 में सहखातेदार चाहिना के स्थान पर लक्ष्मी बाई उर्फ चाहिना राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां